न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 29/2009

1 बनवारीलाल आयु 54 वर्ष पुत्र बीरबलराम।
2 बिहारीलाल आयु 47 वर्ष पुत्र बीरबलराम समस्त जाति जाट निवासीगण माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 अमीचन्द पुत्र मालाराम।
2 सुभाषचन्द्र पुत्र मालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 मृतक छोटू पुत्र देवा जाति दर्जी निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3/1 श्रीमती द्रोपदी पत्नी छोटू।
3/2 महेन्द्र पुत्र छोटू।
3/3 सुशील पुत्र छोटू समस्त जाति दर्जी निवासीगण माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3/4 श्रीमती मनोहरी पुत्री छोटू पत्नी प्रभातीलाल।
3/5 श्रीमती गिनोड़ी पुत्री छोटू पत्नी रणवीर सिंह समस्त जाति दर्जी निवासीगण माउण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 किशोरीलाल पुत्र बीरबलराम।
5 ताराचन्द पुत्र बीरबलराम।
6 चंदगीराम पुत्र बीरबलराम समस्त जाति जाट निवासीगण माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

8 झुंझुनू भूमि सहकारी विकास बैंक झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 26.02.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दावा उनवानी अमीचन्द वगैरह बनाम बनवारी वगैरह दावा बाबत खाता विभाजन दावा संख्या 166/2004

उपस्थिति :

1. श्री जगदीश चन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 166/2004 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के खिलाफ जमीन खसरा नम्बर 597 रकबा 2.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 607 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 तथाकथित रकबा 1.00 हैक्टेयर वास्तविक रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल रकबा 5.62 हैक्टेयर वाके ग्राम माधोगढ़ के बाबत खाता विभाजन का दावा किया। न्यायालय उपखण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प झुन्झुनू)

अधिकारी खेतड़ी ने दिनांक 26.12.2007 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 का 1/6 हिस्सा का खाता अलग कायम करने का आदेश पारित कर तहसीलदार खेतड़ी का 500 रूपये फीस पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया। उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.12.2007 की पालना मानकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने दिनांक 26.02.2009 को निर्णय पारित कर अन्तिम डिक्री पारित की। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 608 का रकबा 1 हैक्टेयर न होकर 1.70 हैक्टेयर है। रेस्पोडेंट संख्या 3 का दिनांक 01.11.2008 को देहान्त होने के उपरान्त विचाराधीन डिक्री पारित की गई है। मृत व्यक्ति के विरूद्व डिक्री पारित होने से अपास्त योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नही किये गये है अपितु विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी नही किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी. जे. 1995 (2) पेज 626, आर. एल.डब्ल्यू. 2005 (1) आर.जे. पेज 41, आर.बी.जे. 2008 पेज 808 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 3 का दिनांक 01.11.2008 को देहान्त होने के उपरान्त विचाराधीन डिक्री पारित की गई है। मृत व्यक्ति के विरूद्व डिक्री पारित होने से अपास्त योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नही किये गये है अपितु विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर है। विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
[illegible](कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी नही किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों को सूचित कर पुन तैयार किये जायें। तदुपरान्त उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर